रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219672
CG-DL-E-01062020-219672

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2020

तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए अर्हताओं, वेतनमानों, सेवा शर्तों, कैरियर संवर्धन योजनाओं (सीएएस)/प्रोन्नतियों आदि से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण

फा. सं० 27–4/अभातशिप/आरआईएफडी/वेतनमान/2018–19 .—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (छ), (ज) और (झ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ

इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए अर्हताओं, वेतनमानों, सेवा शर्तों, कैरियर संवर्धन योजनाओं (सीएएस)/प्रोन्नतियों आदि से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण विनियम, 2020 है।

(क) ये उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं, में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

(ख) ये स्पष्टीकरण अभातशिप द्वारा जारी मुख्य विनियमों दिनांक 05 मार्च, 2010 (डिग्री/डिप्लोमा), 08 नवम्बर, 2012 (सीएएस) (डिग्री/डिप्लोमा), 04 जनवरी, 2016 (स्पष्टीकरण) और 09 जून, 2016 (स्पष्टीकरण) में विहित सन्नियमों/दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में हैं।

II सामान्य

अभातशिप को तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए संशोधित वेतन मान, सेवा शर्तें और अर्हता विनियम, 2010 पर अभातशिप विनियम सं० 37–3/विधि/अभातशिप/2010, दिनांक 05 मार्च, 2010 तथा तकनीकी संस्थाओं (डिग्री और डिप्लोमा) में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए कैरियर संवर्धन योजना विनियम, 2012 पर विनियम सं० 37–3/विधि/अभातशिप/2012 दिनांक 08

नवम्बर, 2012 के क्रियान्वयन से उत्पन्न कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने वाले अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। प्रासंगिक मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिनांक 04 जनवरी, 2016 (स्पष्टीकरण) और 09 जून, 2016 (स्पष्टीकरण) की राजपत्र अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिनके संबंध में भी परिषद् को आगे फिर विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए थे।

क्रमांक संख्या	मुद्दा	स्पष्टीकरण
	उच्च अर्हताएं अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में **अतिरिक्त** वेतन–वृद्धि	
1	क्या एम.फार्मा अर्हक संकाय भी दो गैर–संयोजित अग्रिम वेतन–वृद्धियों के लिए पात्र हैं ?	जहां कहीं एम.टेक/एम.ई डिग्री–धारकों के लिए अतिरिक्त वेतन–वृद्धियाँ लागू हैं, वही लाभ डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में एम.फार्मा. डिग्रीधारकों को भी प्रदान किए जाएंगे।
2	क्या विभिन्न भत्ते जैसे मंहगाई भत्ता और एचआरए आदि भी डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों में संकाय सदस्यों को उच्च अर्हता के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी गई गैर–संयोजित वेतन–वृद्धियों पर अनुमेय होंगे।	जी हां। उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी गई गैर–संयोजित अतिरिक्त वेतन–वृद्धियों पर विभिन्न भत्ते जैसे मंहगाई भत्ता और एचआरए आदि अनुमेय होंगे। इसे तीन गैर–संयोजित वेतन–वृद्धियों के मामले में नीचे दिए गए उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया गया है :

वेतनमान में मूल वेतन (रू. में)	शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) (रू. में)	एजीपी के साथ मूल वेतन (रू. में) (1+2)	3 प्रतिशत की दर से गैर–संयोजित वेतन–वृद्धि जोडें (रू. में)	एजीपी और वेतन–वृद्धि के साथ नया वेतनमान (रू. में) (3+4)
1	2	3	4	5
15,600	6,000	21,600	21,600 का 9 % =1,944	21,600+1944=23,544

विभिन्न भत्ते जैसे डीए/एचआरए आदि नए मूल वेतन (बेसिक) पर लागू होंगे, जैसा ऊपर स्तंभ (5) में उल्लेख किया गया है।

क्रमांक संख्या	मुद्दा	स्पष्टीकरण
3	क्या शिक्षक संबंधित वेतन बैंडो में विनिर्दिष्ट अधिकतम वेतन सीमा पर पहुंचने के उपरांत आगे वार्षिक वेतन–वृद्धियां पाने के पात्र हैं ?	जी नहीं। संबंधित वेतन बैंड में अधिकतम वेतन पर पहुँचने के उपरांत ऐसी वार्षिक वेतन–वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं हैं।
4	क्या तीन अग्रिम वेतन–वृद्धियां सेवा के दौरान पीएच.डी. डिग्री अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में लागू होंगी।	दिनांक 04 जनवरी, 2016 के स्पष्टीकरण में क्रम सं० 25 में यह स्पष्ट किया गया है कि पीएच.डी. के लिए अग्रिम वेतन–वृद्धियों की अनुमति उन पदधारकों के लिए नहीं हैं, जो पीबी–4 (37400–67000 रू.) में हैं। तथापि, यह स्पष्टीकरण उनके लिए लागू होगा जो अभातशिप के दिनांक 04 जनवरी, 2016 के स्पष्टीकरण की प्रकाशन की तारीख के बाद पीएच.डी. डिग्रियां अर्जित कर रहे हैं।

	7 वर्ष के भीतर पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने की शर्त के साथ उन्नयित किए गए आवेदकों से संबंधित मुद्दा	
5	क्या उन सहायक प्रोफेसरों, जिन्हें सात वर्ष के भीतर पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने की शर्त के अधीन नियुक्त अथवा प्रोन्नत किया गया था, की वार्षिक वेतन–वृद्धिया तब तक रोक दी जानी चाहिएं, जब तक कि वे पीएच.डी. डिग्री प्राप्त नहीं कर लेते हैं तथा, उन सेवा–शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं, जो अभातशिप विनियम 2010 और 2012 के अंतर्गत अपेक्षित हैं ?	जी हां। ऐसे उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 7 वर्ष के भीतर पीएच.डी. डिग्री पूर्ण करें जिसमें विफल रहने पर वेतन–वृद्धियां तब तक रोक ली जाएंगी और उन्हें वर्जित कर दिया जाएगा, जब तक कि पीएच.डी. डिग्री अर्जित नहीं कर ली जाती है। बिना किसी परिकल्पित वेतन–वृद्धि के वार्षिक वेतन–वृद्धियां अन्य सेवा शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने की तारीख से प्रारंभ होंगी।

	उच्चतर एजीपी में उर्ध्ववर्ती संचलन के सीएएस मुद्दे	
6	क्या डिप्लोमा कार्यक्रमों में 8000/– रू. के एजीपी में व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) प्रदान करने के लिए पीएच.डी. डिग्री एक अनिवार्य अपेक्षा है ?	डिप्लोमा संस्थाओं में व्याख्याता (वरिष्ठ मान), जिसने 7000/– रू. के ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, पीएच.डी. डिग्री अर्जित किए बिना 15600–39100 के वेतन बैंड में व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में रूपये 8000/– के आगामी उच्च ग्रेड में जाने के पात्र होंगे।
7	क्या डिप्लोमा/डिग्री स्तरीय संस्थाओं में 9000/– रू. के ग्रेड वेतन के लिए पीएच.डी. की अर्हता में छूट दी जा सकती है ?	जी नहीं। 9000/– रू. के ग्रेड वेतन में प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों को 5 मार्च, 2010 से पीएच.डी. डिग्री की अनिवार्य अपेक्षा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

8	क्या डिप्लोमा संस्थान में प्रासंगिक विषयक्षेत्र में एम.ई./एम. फिल/पीएच.डी. डिग्री के साथ नया प्रवेशकर्ता अथवा पदधारक व्याख्याता या तो प्रवेश स्तर पर अथवा पीजी डिग्री अर्जित कर लेने के उपरांत रू. 6000/– की एजीपी प्राप्त करने का पात्र होगा।	जी हां। डिप्लोमा संस्थान में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में एम.ई./एम.फिल. /पीएच.डी. डिग्री के साथ नया प्रवेशकर्ता अथवा पहले से ही सेवारत व्याख्याता प्रवेश स्तर पर अथवा पीजी. डिग्री अर्जित करने के उपरांत रू. 5400/– के प्रवेश स्तर एजीपी से रू. 6000/– का एजीपी प्राप्त करने का पात्र होगा।
	डीटीई/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालयों द्वारा सीएएस आयोजित करने की अवधि	
9	तकनीकी संस्थाओं में सीएएस साक्षात्कार आयोजित करने की अवधि क्या होनी चाहिए ?	राज्यों में डीटीई/तकनीकी संस्थाओं के प्रशासन द्वारा सीएएस साक्षात्कार प्रत्येक वर्ष में कम–से–कम एक बार परंतु अधिमानतः एक वर्ष में दो बार आयोजित किए जाने चाहिए।

	सीएएस के लिए प्रशिक्षणों की अपेक्षाएं	
10	क्या एक–एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमों पर दो सप्ताह की अवधि के एक कार्यक्रम के रूप में विचार किया जा सकता है, जैसाकि अभातशिप की पूर्व अधिसूचनाओं के अनुसार सीएएस/प्रोन्नतियों के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ?	जी हां। एक–एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमों पर दो–सप्ताह की अवधि के एक कार्यक्रम के रूप में विचार किया जाना चाहिए जैसाकि अभातशिप की पूर्व अधिसूचनाओं के अनुसार सीएएस/प्रोन्नतियों के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। ऐसे कार्यक्रम अभातशिप / यूजीसी / टीईक्यूआईपी / एनआईटीटीटीआर / पीएमएमएमएनएमटीटी / आईआईएससी / आईआईटी / विश्वविद्यालयों / सरकार / डीटीई / तकनीकी शिक्षा बोर्ड / सीओए / आईआईए / एसपीए / आईटीपीआई / अर्पित / एनपीटीईएल / राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य संस्थान द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित / संचालित किए जाने चाहिएं। यही औचित्य तीन सप्ताह के कार्यक्रमों, जहां कहीं भी उनका उल्लेख है, पर भी लागू होता है।
11	क्या डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में संकाय सदस्यों / पुस्तकाध्यक्षों / पीटीआई के लिए सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सतत् शिक्षा कार्यक्रमों / अभिविन्यास (ओरियन्टेशन) / पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों आदि की संख्या की अपेक्षा में छूट दी जा सकती है ?	जी नहीं। कार्यक्रमों की कुल संख्या की अनिवार्य अपेक्षा में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। एकबारीय (वन टाईम) विस्तार 07.11.2015 तक पहले ही दिया जा चुका है।
12	क्या डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में नए वेतनमानों में सहायक / उप पुस्तकाध्यक्ष की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण / पाठ्यक्रमों की अपेक्षाओं में छूट दी जा सकती है ?	जी नहीं। पाठ्यक्रम कार्य की अपेक्षाओं के लिए कोई छूट नही दी जा सकती है। तथापि, दिनांक 04 जनवरी, 2016 की अभातशिप अधिसूचना के अनुसार संकाय सदस्यों को दी गई 07 नवम्बर, 2015 तक की छूट तथा दिनांक 01 मार्च, 2019 की अभातशिप अधिसूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2022 तक क्रमशः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के लिए दी गई छूट पुस्तकाध्यक्षों के लिए भी लागू है।

	भर्ती और सीएएस, दोनों के लिए परीक्षा में बैठने के लिए संकाय की हकदारी	
13	क्या सीधे भर्ती हुए किसी संकाय सदस्य को किसी पश्चात्वर्ती तारीख में समान पद के लिए सीएएस प्रोन्नति हेतु साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी जाएगी।	जी हां। किसी सीधे भर्ती हुए संकाय सदस्य को समान पद के लिए सीएएस प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी जाएगी, यदि सीएएस की प्रक्रिया किसी पश्चातवर्ती तारीख को संचालित की गई है।

	पात्रता संबंधी मुद्दे – विविध अर्हताएं और उनके प्रकार	
14	क्या पीजीपीपीएम और पीजीडीएम / एमबीए कार्यक्रम अथवा 1 वर्ष की अवधि की ऐसी अन्य डिग्रियां एमबीए पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम के समकक्ष हैं ?	जी नहीं। पीजीपीपीएम और पीजीडीएम/एमबीए अथवा एक वर्ष की अवधि के ऐसे अन्य डिग्री कार्यक्रम संकाय पद पर भर्ती के प्रयोजन हेतु एमबीए/पीजीडीएम के दो–वर्षीय पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है।

15	क्या किसी इंजीनियरी विषयक्षेत्र में 10 वर्ष के अनुभव के साथ इंजीनियरी में डिप्लोमा संकाय के रूप में भर्ती के लिए अथवा निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए स्नातक डिग्री के समकक्ष है ?	जी नहीं। किसी इंजीनियरी विषय क्षेत्र में 10 वर्ष के अनुभव के साथ इंजीनियरी में डिप्लोमा, डिप्लोमा संस्थाओं में भर्ती के प्रयोजनार्थ इंजीनियरी की स्नातक डिग्री के समकक्ष नहीं है।
16	क्या अंशकालिक/सप्ताहांत कार्यक्रम/ **किसी भी योग्यता व्यावसायिक समूह के माध्यम** से उत्तीर्ण बी.ई./बी.टेक. और / अथवा एम.ई. /एम.टेक डिग्री धारक विभिन्न संकाय पदों अथवा पीएच.डी. डिग्री में प्रवेश के लिए पात्र हैं ?	जी हां। यदि यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित की गई ऐसी इंजीनियरी/भेषजी डिग्रियां, जिनमें सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी पाठ्यक्रम समस्त सैद्धांतिक व्याख्यानों, ट्यूटोरियलों / प्रयोग अथवा प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों और परियोजनाओं आदि के लिए कक्षा की रीति से संचालित किए जाते हैं, वे भर्ती / प्रोन्नति / सीएएस प्रयोजनों के लिए मान्य होंगी। यदि डिग्रियां सप्ताहांत/संध्याकालीन कक्षाओं की रीति / अंशकालिक रीति से अर्जित की जाती हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों की अवधि सामान्य पॉलियों में संचालित कार्यक्रमों की तुलना में 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। दूरस्थ रीति के माध्यम से इंजीनियरी/ भेषजी / वास्तुकला /होटल प्रबंधन में प्राप्त की गई डिग्रियां किसी भी स्तर पर भर्ती के लिए मान्य नहीं हैं, **केवल उनको छोड़कर, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने डिग्री को स्पष्ट रूप से मान्य किया है।** तथापि, दूरस्थ और ऑनलाइन रीति के माध्यम से प्रबंधन, एमसीए तथा यात्रा एवं पर्यटन में डिग्री भर्ती के लिए मान्य हैं। **वृत्तिकों (प्रोफेशनल) निकायों / संस्थानों / सोसायटियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के मामले में केवल वही अभ्यर्थी तकनीकी संस्थानों में नियुक्ति / पदोन्नति के लिए पात्र हैं जो 31/05/2013, तक इन व्यावसायिक निकायों / संस्थानों /सोसायटियों के साथ नामांकित हैं , जिन्हे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी ।**
17	क्या एम.एससी. (जैवप्रौद्योगिकी / जैव रसायन इंजीनियरी / रसायनविज्ञान / गणित) तथा जैवप्रौद्योगिकी और रसायन प्रौद्योगिकी अथवा प्रासंगिक शाखाओं / कार्यक्रमों / किसी संबद्ध क्षेत्रों में एम. टेक. / पीएच.डी. रखने वाला व्यक्ति सीएएस तथा/अथवा डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में संकाय के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं ?	जी हां। भर्ती के समय पर आधारभूत न्यूनतम अर्हता के साथ संकाय के रूप में भर्ती पदधारक तथा जिसने अभातशिप की दिनांक 13 मार्च, 2010 की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, सीएएस/प्रोन्नति के लिए और साथ ही उसी अथवा अन्य संस्थाओं में सीधी भर्ती के लिए पात्र है बशर्ते कि वह विभिन्न शिक्षण पदों के लिए विनिर्दिष्ट अन्य पात्रता मानदण्डों और उच्च अर्हताओं की पूर्ति करता है।
18	राज्यों और विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, डीटीई, उप निदेशक, अपर निदेशक/सहायक निदेशक / वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी / भण्डार क्रय अधिकारी / नेटवर्क इंजीनियर / चिकित्सा अधिकारी और अन्य संबंधित प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें क्या होंगी ?	इन पदों के लिए अर्हताएं, अनुभव अपेक्षाएं तथा सेवा शर्तें संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / केन्द्र सरकार / यूजीसी / स्वायत्तशासी निकायों द्वारा समय–समय पर जारी नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी।

	अनुभव की गणना करने से संबंधित मुद्दे	
19	क्या सेवाकालीन संकाय सदस्यों / प्रशासनिक समनुदेशन आदि पर गए सदस्यों द्वारा असाधारण छुट्टी / अध्ययन छुट्टी / प्रतिनियुक्ति पर / सेवा अंतरण पर / पुनर्ग्रहणाधिकार / पोस्ट–डॉक्टोरल रिसर्च आदि के रूप में प्रदान की गई अपेक्षित छुट्टी पर उच्चतर अध्ययन करने की अवधि की गणना भर्ती / प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए अध्ययन अनुभव के रूप में की जाएगी ?	उचित माध्यम से तथा सम्यक रूप से मंजूर अनुमति / छुट्टी / प्रतिनियुक्ति / पुनर्ग्रहणाधिकार / अपने संस्थान / संगठन से सेवा अंतरण पर उच्चतर अध्ययन / प्रशासनिक समनुदेशन के लिए जाने वाले संकाय सदस्यों की इस अवधि की गणना उसी अथवा किसी अन्य संगठन में उच्च स्तर / समान स्तर पर प्रोन्नति / सीएएस और प्रत्यक्ष भर्ती के प्रयोजन के लिए शिक्षण / शोध अनुभव के रूप में की जाएगी।
20	क्या शिक्षण / शोध में न्यूनतम 10 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव जिसमें से 3 वर्ष विभागाध्यक्ष के समकक्ष व्याख्याता के रूप में 9000/– रू. के ग्रेड वेतन पर है, के साथ केवल बी.ई./बी.टेक डिग्री धारण करने वाला इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का संकाय सदस्य जिसने शिक्षक के रूप में समान वेतनमान में प्रशासनिक पद पर भी कार्य किया है, डिप्लोमा संस्थाओं में प्राचार्य के पद के लिए पात्र है ?	जी नहीं। डिप्लोमा संस्थाओं में प्राचार्य के पद के लिए अर्हता और अनुभव की पूर्ति करना अभातशिप द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अनिवार्य है।

	छात्र : संकाय अनुपात के परिकलन के लिए संबद्ध (**एडजेंक्ट**) संकाय पर विचार करना	
21	क्या संबद्ध संकाय के रूप में उद्योग से नियुक्त किए गए वृत्तिकों (प्रोफेशनल) पर छात्र संकाय अनुपात के लिए संकाय के रूप में विचार किया जा सकता है ?	जी हां। जब तक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं से संबद्ध संकाय / विशिष्ट संकाय / प्रोफेसर एमेरिटस **वयोवृद्ध** अथवा प्रतिष्ठित उद्योग के प्रतिष्ठित वृत्तिक शोध पर ध्यान–केन्द्रित कर रहे हों तथा पूर्णकालिक संकाय के रूप में कार्य कर रहे हों और अभातशिप के विनियमों के अनुसार नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हों, उन पर एसएफआर के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे बिना किसी शैक्षणिक व्यवधान के न्यूनतम 2 निरंतर सेमेस्टरों अथवा उससे अधिक अवधि से संस्था में कार्य कर रहे हों। तथापि, किसी संस्था के किसी विशेष इंजीनियरी विभाग के संकाय सदस्यों की संस्वीकृत संख्या से 10 प्रतिशत से अधिक संकाय की नियुक्ति उक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं की जा सकेगी। इस लचीलेपन को प्रदान करने का उद्देश्य उद्योग, शोध प्रयोगशालाओं के विविध रूप से अनुभवी लोगों को संस्था में लाना है तथा इसका अर्थ कोई अन्य छूट प्रदान करना नहीं है।

अस्वीकरण : अधिसूचना की भाषा
अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। यद्यपि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है। तथापि व्याख्या में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./37/2020–21]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2020

Clarifications on Certain Issues / Anomalies in 6th CPC pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Schemes (CAS)/promotions etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma)

F.No. 27-4/AICTE/RIFD/Pay Scale/2018-19.— In exercise of the powers conferred under sub-section (i) of Section 23 read with Section 10 (g), (h) and (i) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following regulations:

I. Short title, Applications and Commencement:

These Regulations may be called All India Council for Technical Education [Clarifications on certain Issues / Anomalies in 6th CPC pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Schemes (CAS) / promotions etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree / Diploma)], 2020.

(a) These shall apply to Technical Institutions conducting technical educations and such other courses/programs and area notified by the Council from time to time.

(b) These clarifications may be read with in continuation of the norms/guidelines prescribed in the main Regulations dated 5th March 2010 (Degree/Diploma), 8th November 2012 (CAS) (Degree/Diploma), 4th January 2016 (Clarification) and 9th June 2016 (Clarification) issued by AICTE.

II. General

AICTE had received several representations seeking clarifications on certain issues arising out of the implementation of AICTE Regulations No. 37-3/Legal/AICTE/2010 dated 5th March 2010 on revised Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the teachers and other Academic staff in Technical Institutions (Degree & Diploma) Regulations, 2010 and No. 37-3/Legal/AICTE/2012 dated 8th November 2012 on Career Advancement Scheme for the Teachers and other Academic staff in Technical Institutions (Degree & Diploma) Regulations, 2012. Clarifications on the relevant issues were notified vide Gazette Notification dated 4th January 2016 (Clarification) and 9th June 2016 (Clarification) which has further attracted the representations / references by the Council from the various stakeholders.

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th colspan="3">Issue</th><th colspan="2">Clarification</th></tr>
<tr><td colspan="6">Additional increment as an incentive for acquiring higher qualifications</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Whether M.Pharm. qualified faculty is also eligible for two non-compounded advance increments?</td><td colspan="2">Wherever additional increments are applicable to those possessing M. Tech. / M. E. degree, same benefit shall be extended to M. Pharm. degree holders too in degree / diploma level institutions as well.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td colspan="3">Whether the allowances such as DA and HRA etc. shall be admissible on the non-compounded increments given as an incentive for higher qualification to the faculty members in degree / diploma level institutions?</td><td colspan="2">Yes.

The allowances such as DA and HRA etc. shall be admissible on the non-compounded additional increments given as an incentive for higher qualifications.

It has been more clarified with the example given below for the case of three non-compounded increments:</td></tr>
<tr><td>Basic Pay in the Pay Scale (in Rs.)</td><td>Academic Grade Pay (AGP) (in Rs.)</td><td>Basic Pay with AGP (in Rs.)

(1+2)</td><td>Add 3 non-compounded increments @ 3% (in Rs.)</td><td>New Basic Pay with AGP and Increments (in Rs.) (3+4)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>15,600</td><td>6,000</td><td>21,600</td><td>9% of 21,600=1,944</td><td>21,600 +1,944 = 23,544</td></tr>
<tr><td colspan="5">The allowance like DA / HRA etc. shall be admissible on new basic pay as mentioned in column (5) above.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">Whether teachers are eligible for further annual increments after reaching the maximum pay limit prescribed in the respective Pay Bands?</td><td colspan="2">No.

There is no provision for such annual increment after reaching maximum pay in the respective Pay Band.</td></tr>
</table>

4.	Whether three advance increments shall be applicable as an incentive for acquiring a Ph.D. degree during service?	In the clarification dated 04th January 2016 it has been clarified at Sr. No. 25 that the advance increments for Ph.D. are not allowed for the incumbents who are in PB-4 (Rs.37400-67000). However, this clarification shall be applicable for those acquiring Ph.D. degree after the date of publication of AICTE clarification dated 4th January 2016.

Issues pertaining to candidates upgraded with a condition of obtaining a Ph. D. degree within 7 years		
5.	Whether the annual increments of Assistant Professors who are recruited or promoted under condition to obtain Ph.D. degree within seven years, should be stopped until he obtains Ph.D. degree and fulfill service condition as required under AICTE regulation 2010 and 2012?	Yes. Such candidates were required to complete Ph. D. degree within 7 years from the date of joining, failing which increments shall be stopped and forfeited until Ph.D. degree is acquired. The annual increments, without notional increments, shall resume from the date of obtaining Ph.D. degree, subject to fulfillment of other service conditions.

CAS Issues of upward movement in higher AGP		
6.	Whether there is an essential requirement of the Ph.D. degree for the grant of Lecturer (Selection Grade) in AGP of Rs. 8000/- in Diploma Programs?	Lecturer (Senior Scale) in diploma institutions who have completed 5 years of service in the grade of Rs 7000/- shall be eligible to move up to the next higher grade of Rs 8000/- as Lecturer (Selection Grade) in Pay Band of Rs. 15600-39100 without acquiring a Ph.D. degree.
7.	Whether qualification of Ph.D. can be relaxed for grade pay of Rs. 9,000/- in Diploma/Degree level institutions?	No. No relaxation in the mandatory requirements for Ph.D. degree shall be given to the candidates for the promotion in the grade pay of Rs. 9,000/- with effect from 5th March 2010.
8.	Whether a newly entering or incumbent Lecturer in Diploma Institute with M.E./M.Phil./Ph.D. degree in relevant discipline shall be eligible to get AGP Rs.6000/- either at entry level or as and when he/she acquires PG degree.	Yes. A newly entering or already in service Lecturer in Diploma Institute with M.E. / M.Phil. / Ph.D. degree in relevant discipline shall be eligible to get AGP Rs.6000/- from the entry level AGP of Rs. 5400/- either at entry level or as and when they acquire PG Degree.
Frequency of holding CAS by DTE / State Government / Universities		
9.	What should be the frequency of CAS interviews in technical institutions?	The CAS interviews must be held by DTE / Administration of technical institutions in the states at least once in every year but preferably twice a year.

Requirements of Trainings for CAS		
10.	Whether two programmes, each of 1-week duration can be considered as one programme of two weeks duration as desired for the purpose of CAS / promotions as per earlier AICTE Notifications?	Yes. Two programmes, each of 1-week duration shall be considered as one programme of two-weeks duration as desired for the purpose of CAS / promotions as per earlier AICTE Notifications. Such programmes shall be duly approved / conducted by AICTE / UGC / TEQIP / NITTTRs / PMMMNMTT / IISc / IITs / Universities / Government / DTE / Boards of Technical Education / CoA / IIA / SPA / ITPI / ARPIT / NPTEL / other Institutes of National Importance. The same logic applies to the requirement of the three-week programs also wherever mentioned.
11.	Whether the requirement of number of Short-Term Training Programmes/ Continuing Education Programmes / Orientation / refresher courses etc. may be relaxed for promotion under CAS for faculty members / Librarian / PTIs in Degree / Diploma level institutions?	No. There shall be no relaxation in the mandatory requirement of total duration of programmes. One-time extension has already been given until 07.11.2015.
12.	Whether relaxation in training/ course requirements for the promotion of Assistant/ Deputy Librarian in Diploma level institution in new scales can be given?	No. No relaxation can be granted for requirements of course work. However, extension given to faculty members up to 7th November 2015 as per AICTE Notification dated 4th January 2016 and up to 31st July 2022 as per AICTE notification dated 1st March 2019 for 6th CPC & 7th CPC respectively is applicable to Librarians also.

The entitlement of a faculty to appear for recruitment and CAS both		
13.	Whether a directly recruited faculty member be allowed to appear in an interview for CAS promotion for the same post on a later date?	Yes. A directly recruited faculty member shall be allowed to appear in an interview for CAS promotion for the same post if the process of CAS is conducted at a later date.

Eligibility Related Issues – Miscellaneous Qualifications and their Modes		
14.	Whether PGPPM and PGDM / MBA programmes or such other degrees of 1-year duration are equivalent to MBA full time regular course?	No. PGPPM and PGDM / MBA or such other degree programmes of one-year duration are not equivalent to 2-year full time regular course of MBA / PGDM for the purpose of recruitment to the faculty position.
15.	Whether Diploma in Engineering with 10 years of experience in any Engineering stream is equivalent to Bachelor’s degree in Engineering for the recruitment as faculty or for pursuing a Master's course?	No. Diploma in Engineering with 10 years of experience in any Engineering stream shall not be equivalent to Bachelor’s degree in Engineering for the purpose of recruitment in diploma institutions.

16.	Whether B.E./B.Tech and / or M.E./M.Tech degree holders passed through a part-time / week-end/any other qualification acquired through professional bodies are eligible for various faculty positions or admission to Ph.D. programme ?	Yes. As long as Engineering / Pharmacy degrees offered by universities are recognized by UGC in which the teaching of all the courses takes place in a classroom mode for all the theory lectures, tutorials / Practical or laboratory courses and projects etc. as specified by the respective university, degrees shall be valid for recruitment / promotion / CAS purposes. If the degrees are earned through week-end / evening mode / part-time mode, then duration of such programmes shall be 1.5 times longer than that of the programmes offered in general shifts. Degrees obtained in engineering/ pharmacy / architecture/hotel management through distance mode are not valid for recruitment at any level except, where supreme court has explicitly validated the degrees. Degrees in Management, MCA and Travel & Tourism through distance and online mode are however valid for recruitment. In case of the certification awarded by professional bodies/ Institutions/ Societies, only those candidates who are enrolled with these professional bodies/ Institutions/ Societies up to 31/05/2013, to whom recognition was granted by MHRD are eligible for appointment/promotion in the technical institutions.
17.	Whether a person with M. Sc. (Biotechnology / Biochemical Engineering / Chemistry / Mathematics) and M. Tech. / Ph.D. in Biotechnology and Chemical Technology or relevant branches / programmes / any allied areas is eligible for CAS and / or for direct recruitment as a faculty in Degree and Diploma level Technical Institutions?	Yes. Existing incumbents recruited as a faculty with the basic minimum qualifications required at the time of recruitment and who had secured admissions to these courses before publication of AICTE notification dated 13th March, 2010 be considered as eligible for CAS / promotions as well as direct recruitment in the same or the other institutions subject to fulfillment of other eligibility criteria and higher qualifications prescribed, if any, for various teaching posts.

18.	What will be the qualifications, experience and service condition for the post of Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar, DTE, Deputy Director / Additional Directors / Assistant Directors in the States and Universities / Finance Controllers/ Finance Officers/ Store Purchase Officers/ Network Engineer/ Medical Officers and other concerned Administrative Staff?	Qualification, experience requirements and service conditions for these posts shall be as per rules and regulations of respective State / UT / Central Government / UGC / Autonomous Bodies issued from time to time.
Issues related to counting of experience		
19.	Whether the period of pursuing higher studies by in-service faculty members / on administrative assignments etc. with required leave granted as EOL / study leave / on deputation / service transfers / lien / post-doctoral research etc. be counted as teaching	Faculty members going for higher studies / administrative assignments etc. through proper channel and through duly sanctioned permission / leave / deputation / lien / service transfer from his Institute / organization, the period shall be

	experience for recruitment / promotion and direct recruitments?	counted as teaching / research experience for the purpose of promotion / CAS and direct recruitments at higher level / same level in the same or the other organization.
20.	Whether a faculty of Engineering and Technology holding only B.E. / B.Tech. degree with minimum 10 years relevant experience in teaching/research out of which 3 years is in the grade pay of Rs.9,000/- as Lecturer at par with HOD & have worked in administrative position in the same pay scales as teachers, is eligible for the post of Principal in Diploma Institutions?	No. The qualification and experience for the post of Principal in Diploma Institutions is essential to be met as per notifications issued by AICTE from time to time.

Consideration of Adjunct Faculty for calculation of S:F ratio		
21.	Can professionals from Industry appointed as Adjunct Faculty be considered as faculty for Student Faculty Ratio?	Yes. As long as the Adjunct Faculty/ distinguished faculty/ Professor Emeritus superannuated from reputed academic institutions or eminent professionals from reputed industries having research as focus and appointed as full time faculty and getting regular salary as per AICTE regulations, shall be considered for the purpose of SFR, provided they have worked in an institution for at least 2 consecutive semesters or longer without any academic break. However, not more than 10% of the sanctioned strength of faculty members of a particular engineering department, of an institution can be recruited under the above categories. The objective of giving this flexibility is to bring in diversified experience of people from industry, research laboratories and not to give any relaxation.

Disclaimer: Notification Language

The notification is published in English and Hindi languages. Utmost care is taken to translate notification from English to Hindi. However, in case of any kind of discrepancy in interpretation, English version shall prevail.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./37/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.